

(४७)

प्रधक,

एच०पी० सिंह,
दिशेष सचिव,
ठ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
ठ०प्र०, लखनऊ।नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लेखनक्रु : दिनांक : 10 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-470/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 12 मई, 2015, संख्या-471/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 12 मई, 2015 व संख्या-922/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 09 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-सीतापुर की न०पा०प०, सीतापुर, विसवां, मिश्रिख नैमिषारण्य, लहरपुर व सिधौली एवं न०प०, तम्बौर, अहमदाबाद, हरगाँव, पैतेपुर व महोली की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 19 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधिक धनराशि से रु० 48८८१ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु० 243.555 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-1314/69-1-2013-55(बजट)/2013, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 द्वारा जारी की गयी थी। इसी प्रकार अनुदान संख्या-37 से जनपद-जालौन की न०पा०प०, उरई व कौच की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 07 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट में प्राविधिक धनराशि से रु० 62.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु० 31.015 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-89/2015/2766/69-1-14-55(बजट)/2013, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधिक धनराशि से जनपद-सीतापुर की न०पा०प०, विसवां व लहरपुर, न०प०, तम्बौर अहमदाबाद, सिधौली व हरगाँव की 09 परियोजनाओं एवं जनपद-जालौन की न०पा०प०, उरई व कौच की 05 परियोजनाओं अर्थात उक्त जनपदों की कुल 14 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु० 131.98 लाख (रुपये एक करोड़ इकाईस लाख अट्ठावचे हजार नाम) की लिम्नालिखित रूपी/प्रतिबद्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहयोगी की प्राप्ति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-32/65-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये देश-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में घण्टित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ती जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय नियासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को विर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसुप्त किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित विर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणकों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आकृति नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (विर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित विर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सीत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरापुति/पुलरापुति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निटेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१६ तक व्यव हो सके।
2. उपर्युक्त व्यव चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "२२१७-शहरी विकास-आयोजनागत-०४-गन्दी वस्तियों का विकास-०५१-निर्माण-०३-मलिन वस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में सी०सी० रोड/इण्टरलाइंकिंग नाली आदि का निर्माण-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२२१५/बी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ य समय-समय पर जारी आदेशों के बहत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
hpsl
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-६४९/२०१५/१६६३(१)/६९-१-२०१५ तिथिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचितार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निटेशक, स्थानीय निषि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सीतापुर/जालौन।
5. सुचय कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक हेव मास्टर, सूडा को विभागीय देवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सम्बन्धियक।

आज्ञा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

(धनराशि लाइव रूपरो द्वे)

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/ ग्रन्थ दिशन के म्य में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सीतापुर	न०पा०प०, विस्वां	वार्ड न०-०६, भौ० दायरा प्रथम में इंटरलाकिंग सड़क निर्माण।	31.67	15.835
2	तदैव	तदैव	वार्ड न०-१९, जोशीटोला की विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.34	11.67
3	तदैव	तदैव	वार्ड न०-२०, भौ०-काजीटोला की विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.85	6.925
4	तदैव	तदैव	वार्ड न०-११, भौ०-महाराजगंज की विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.10	13.55
5	सीतापुर	न०प०, तम्बौर अहमदाबाद	वार्ड न०-०६, काजीटोला पश्चिमी की नई आवादी में हीनक के मकान से एखलाक के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.57	4.285
6	सीतापुर	न०प०, सिधौली	वार्ड न०-४, भौ०-सिद्धेश्वर नगर में बाड़ी रोड रामास्टे रोड से नूर मोहम्मद हसीना, हाशिम, नुसुरुद्दीन के मकान द्वेते हुए रामू श्रीवास्तव के खेत तक दोनों तरफ नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	33.00	16.50
7	सीतापुर	न०प०, हरगांव	भौ० तरपतपुर में ढाठो तोफीक के मकान से स्कूल के आगे तक (इस्माइलपुर मार्ग) इंटरलाकिंग व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	28.13	14.065
8	सीतापुर	न०प०, तम्बौर अहमदाबाद	वार्ड न०-०८, सिमटोला उत्तरी में मुख्य मार्ग पर सलीम के खेत से चुंगी चौको तक बाला निर्माण कार्य।	38.62	19.31
9	सीतापुर	न०पा०प०, लहरपुर	भौ० लहरियापुर में इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9.91	4.955
10	जालौन	न०पा०प०, कोंच	भौ० आराजी लेन कसाई मण्डी में ईदगाह के पास पुलिया से रहना इलाही के मकान तक पक्का नाला निर्माण कार्य।	15.83	7.915
11	तदैव	तदैव	भौ० आराजी लेन कसाई मण्डी में रहना इलाही के मकान से ईश्वर सिंह कुशवाहा के मकान तक पक्का नाला निर्माण कार्य।	15.68	7.84
12	जालौन	न०पा०प०, उरई	भौ० लहरियापुरवा के वार्ड स०-१८ में शेर अली के मकान से श्रीमती जालौनी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.52	2.26
13	तदैव	तदैव	भौ० लहरियापुरवा के वार्ड स०-१८ में विश्वनाथ के मकान से सईद के मकान तक एवं अकरम के मकान से अली हसन के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.20	2.10
	तदैव	तदैव	भौ० लहरियापुरवा के वार्ड स०-१८ में शेर खान के मकान से शमर जी के मंदिर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.54	4.77
गोल				263.96	131.98

ज्ञात वर्ग इकाई संभव अनुदान दृष्टिकोण

(१ ग्रामीण)
विशेष वर्ग